बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक..........................

संख्या–8 / आ० 05–42 / 2022..................... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2479 दिनांक 25.08.2022 द्वारा श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध श्रीमती निधि कुमारी, पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजनोंपरांत उनका योगदान प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं कराये जाने पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने, उक्त से संबंधित जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन नहीं कराये जाने, विभागीय आदेश के विपरीत कार्य करने एवं अपने अधिकारों का दुरूपयोग किये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 806 दिनांक 20.10.2022 द्वारा श्री इन्द्रशेखर से बचाव अभिकथन की मांग की गई। श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के पत्रांक 647 दिनांक 03.11.2022 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नी सैदपुर के पद पर दिनांक 06.07.2019 से कार्यरत थे। रून्नी सैदपुर प्रखंड में दो शैक्षणिक अंचल क्रमशः रून्नीसैदपुर एवं थुम्मा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक 1030 दिनांक 13.07.2019 द्वारा उन्हें थुम्मा का भी प्रभार दिया गया था। परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक 1298 दिनांक 31.08.2019 द्वारा थुम्मा का प्रभार श्री हरिशचन्द्र राय को दिया गया। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक 1372 दिनांक 24.09.2020 द्वारा श्री भागवत प्रसाद सिंह को थुम्मा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किये जाने के पश्चात श्री सिंह कार्यरत थे। श्रीमती निधि कुमारी, पंचायत शिक्षिका के नियोजन से संबंधित मामला के संबंध में श्री इन्द्रशेखर द्वारा अंकित किया गया कि यह मामला शैक्षणिक अंचल थुम्मा में होने के कारण यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया, जिसके कारण उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी के द्वारा उन्हें कोई निदेश नहीं दिया गया था, फिर भी उनके ज्ञापांक 46 दिनांक 16.01.2020 द्वारा आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / नियोजन इकाई एवं प्रधानाध्यापक को सूचित किया गया था। उक्त अवधि में श्री हरिश्चन्द्र राय थुम्मा के प्रभार में थे एवं उसके पश्चात श्री भागवत प्रसाद सिंह दिनांक 22.09.2020 से थुम्मा में पदस्थापित थे, जिन्हें इस आदेश का अनुपालन कराना था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा को प्रधानाध्यापक के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। श्री इन्द्रशेखर के पत्रांक 462 दिनांक 16.08.2022 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचित किया गया कि श्रीमती निधि कुमारी का मामला थुम्मा शैक्षणिक अंचल से संबंधित है। श्रीमती कुमारी को पंचायत नियोजन इकाई के पत्रांक 5 दिनांक 03.05.2021 द्वारा प्राथमिक विद्यालय, बेलहिया

टोला, बघाड़ी, रून्नीसैदपुर में पुनः योगदान की स्वीकृति दी गई। परंतु योगदान की स्वीकृति से संबंधित कोई भी आवेदन श्रीमती कुमारी द्वारा उन्हें नही दिया गया और न ही जिला शिक्षा कार्यालय से कोई निदेश दिया गया।

तदालोक में निदेशालय के पत्रांक 995 दिनांक 30.12.2022 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 376 दिनांक 30.01.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि श्रीमती निधि कुमारी के द्वारा बार–बार विद्यालय में योगदान देने हेतु आवेदन देने के बाद भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लेकर योगदान का आदेश नहीं दिया गया और न ही जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरूद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकार में गये। विदित हो कि श्री इन्द्रशेखर उक्त प्रखंड के वरीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे। जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश का अनुपालन नहीं कराये जाने के कारण श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, थुम्मा तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सीतामढ़ी के वेतन मद से कटौती करते हुए श्रीमती कुमारी को भुगतान का आदेश दिया गया। अतः श्री इन्द्रशेखर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं जिला अपीलीय प्राधिकार, सीतामढ़ी के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

निदेशालय के पत्रांक 19 दिनांक 03.01.2025 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी से श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीह, रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त एवं श्री भागवत प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थुम्मा, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्ट मंतव्य की मांग की गई कि वस्तुतः किस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा न्यायालय आदेश का अनुपालन किया गया था एवं उस समय कौन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभार में थे। तदालोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 2929 दिनांक 09.09.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सीतामढ़ी के पत्रांक 3045 दिनांक 08.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि संबंधित मामले में किसी प्रकार की सूचना श्री इन्द्रशेखर द्वारा कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा न तो जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में श्रीमती कुमारी का संबंधित विद्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित कराया गया और ना ही जिला शिक्षा कार्यालय के पत्रांक 2721 दिनांक 28.10.2020 एवं 3103 दिनांक 31.12.2021 द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद पुनर्विलोकन दायर किया गया। संचिका में रक्षित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि श्रीमती कुमारी द्वारा योगदान हेतु अभ्यावेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर को समर्पित किया गया है। जिला अपीलीय प्राधिकार का आदेश ज्ञापांक 46 दिनांक 28.12.2019 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर को ही प्रेषित है।

जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्गत आदेश में रून्नीसैदपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुपालन कराने हेतु कहा गया है। उक्त आदेश की ही प्रतिलिपि श्री इन्द्रशेखर द्वारा संबंधित प्रखंड थुम्मा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, राजबघाड़ी रून्नीसैदपुर एवं प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, बेलहिया टोला, बघाड़ी रून्नीसैदपुर को दिया गया।

रून्नीसैदपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकार के आदेश की प्रतिलिपि थुम्मा प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया लेकिन संबंधित शिक्षिका द्वारा जो योगदान संबंधी आवेदन दिया गया, उस आवेदन को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त शिक्षिका को योगदान हेतु माननीय न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। स्पष्ट है कि इनके द्वारा उक्त पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं किया गया। अतएव ये दोषी हैं।

समीक्षोपरांत श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 139 (ख) के तहत 3% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती का दंड 02 (दो) वर्ष के लिए अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०–05–42/2022–713 पटना, दिनांक 25.05.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा–17/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सीतामढ़ी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/ श्री इन्द्रशेखर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रून्नी सैदपुर, सीतामढ़ी–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पता–ग्राम–महथा, डाकघर–महथा, थाना– लदनियाँ, जिला–मधुबनी, पिनकोड–847232/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/05/26

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)